NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

NO. 131 / NCRES / 20

दिनांक 2.7.2020

डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– मकान किराया भत्ता प्रदान किये जाने के लिये मथुरा–वृन्दावन नगर निगम को "वाई" श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत कर रेल कर्मचारियों को 16% HRA प्रदान करवाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का पत्र सं. 2.4.2018–ई–।। (बी) दिनांक 25.2.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में आगरा मंडल के अन्तर्गत आने वाला मथुरा–वृन्दावन क्षेत्र वर्तमान में मकान किराया भत्ता (HRA) के लिये "Z" श्रेणी में आता है एवं वहां 8% HRA का भुगतान किया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (संलग्न) के अनुसार मथुरा वृन्दावन नगर निगम क्षेत्र को "Z" श्रेणी से "वाई" श्रेणी शहर में पुनवर्गीकृत किया गया है जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.03.2020 से मकान किराया भत्ता "वाई" श्रेणी के अनुरूप 16% की दर से प्रदान किया जाना चाहिये लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक रेल मंत्रालय से कोई आदेश जारी नही हुआ है।

अतः अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से वार्ता कर मथुरा–वृन्दावन नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को "वाई" श्रेणी के अनुरूप 16% की दर से HRA का भुगतान करने के लिये आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्नः– वित्त मंत्रालय का पत्र दिनांक 25.2.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

सं.2/4/2018-ई.II (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

25, फरवरी, 2020

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को 'वाई' श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए 2011 की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर शहरों का पुनर्वर्गीकरण/उन्नयन करने से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 21.07.2015 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई II (बी) की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 12.05.2017 की अधिसूचना सं. 1799/9-7-17-8(सीमा विस्तार)2016 के द्वारा मथुरा नगर निगम और वृंदावन नगर निगम को जोड़ने और मथुरा-वृंदावन नगर निगम का गठन करने के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसलिए, मथुरा-वृंदावन नगर निगम, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 'वाई' श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गीकरण का पात्र बन गया है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम को यहां तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 'वाई' श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3. ये आदेश 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे।

4. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र सेना कार्मिकों और रेल कर्मचारियों के लिए क्रमशः रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 3276

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।